भारत सरकार/Government of India
वस्त्र मंत्रालय/ Ministry of Textiles
पटसन आयुक्त का कार्यालय/ Office of the Jute commissioner
पटसन भवन, सीएफ ब्लॉक/ Patsan Bhawan, CF Block,
सातंवा व आठवां तल, एक्शन एरिया-I / 7th & 8th Floor, Action Area-I
न्यूटाउन, कोलकाता/ Newtown ,Kolkata – 700156

फाईल सं. पटसन(भुगतान)/02/2022 दिनांक 03 अक्टूबर, 2024

सेवा में
निदेशक,
सभी जूट मिले।

विषय:- भारतीय जूट निगम (जेसीआई) द्वारा खरीदे गए कच्चे जूट को बी-ट्वील आवंटन के साथ अनुबंधन।

जबकि, पटसन एवं पटसन वस्त्र नियंत्रण आदेश, 2016 के खंड 5(1) के अंतर्गत, पटसन मिलों को अपने विक्रय अनुबंध (लिंकेज) में जेसीआई द्वारा निर्दिष्ट नियमों और शर्तों पर भारतीय जूट निगम से एक निर्दिष्ट अनुपात में कच्चा पटसन क्रय हेतु और इसे पटसन आयुक्त के कार्यालय को एक अनुपालन रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया जाता है।

2. जबकि, कई पटसन मिलें उत्पादन-सह-आपूर्ति आदेश (पीसीएसओ) में निर्दिष्ट खंड 7(1) के अनुसार जेसीआई से कच्चे पटसन खरीदने में अपनी प्रतिबद्धता के अनुपालन में दोषी पाए गए।

3. पटसन आयुक्त कार्यालय द्वारा ऐसे दोषी पाए गए पटसन मिलों का 10% मूल्य बिल रोक दिया गया है।

4. जबकि, उद्योग से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें रोके गए भुगतान को अग्रिम रूप से जारी करने का अनुरोध किया गया है ताकि इसका उपयोग मिलों द्वारा जेसीआई से कच्चा पटसन खरीदने में अपने दायित्व को पूरा कर सके। पटसन मिलों ने इस तरह के अनुरोध के समर्थन में अपनी कार्यशील पूंजी के प्रबंधन में आने वाली समस्याओं का संदर्भ दिया है।

5. अभ्यावेदन में उठाए गए मुद्दे की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद और पटसन मिलों को अनुबध (लिंकेज) के तहत कच्चे पटसन की खरीद के लिए भारतीय जूट निगम को भुगतान करने में सुविधा प्रदान करने के लिए, पटसन मिल को 10% रोकी गई राशि जारी करने का निर्णय लिया गया है जिसकी घोषणा प्रस्तुत करने के बाद अनुबंध-I में संलग्न है।

6. पटसन आयुक्त कार्यालय से पटसन मिलों को भुगतान जारी होने के 5 कार्य दिवसों के भीतर रोकी गई राशि जारी करने के बाद जेसीआई को कच्चे पटसन का भुगतान करना होगा। यदि जूट मिल निर्धारित अवधि के भीतर जेसीआई को अपेक्षित भुगतान नहीं करती है, तो मिलों को देय 90% भुगतान में से पहले जारी की गई समान राशि रोक दी जाएगी।

7. उपरोक्त निर्देश केवल उन पटसन मिलों पर लागू होंगे जो वर्तमान में चालू हैं और उन मिलों पर लागू नहीं होंगे जो बंद हैं या काम निलंबित हैं।

मलय चन्दन चक्रवर्ती

मलय चंदन चक्रवर्ती
(पटसन आयुक्त)

जैसा कहा गया

अनुबंध ।

प्रमाणपत्र

सेवा में,

पटसन आयुक्त,

पटसन आयुक्त का कार्यालय,

पटसन भवन, सीएफ ब्लॉक,

सातवां एव आठवां तल, एक्शन एरिया-I,

न्यूटाउन, कोलकाता - 700156.

विषय:- भारतीय जूट निगम को आगे के भुगतान के लिए रोकी हुई 10 प्रतिशत राशि के जारी के लिए अनुरोध।

महोदय,

मै, ... (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता), के रुप में कार्यरत..(पदनाम) ....में (पटसन मिल का नाम) एतद द्वारा घोषण करता हूँ:-

1. मैंने अधिसूचना संख्या............................ की विषय वस्तु को पढ़ और समझ लिया है। दिनांक.................................... और उसमें दी गई शर्तों का अनुपालन करने के लिए सहमत हूँ।

2. मैं समझता हूँ कि हमारी जूट मिल ने पीसीएसओ में दी गई शर्तों के अनुसार जेसीआई से कच्चा पटसन खरीदने के अपने अनुबंधात्मक दायित्व में चूक की है।
3. मैं समझता हूँ कि पीसीएसओ में दी गई शर्तों का पालन न करने के कारण 10% मूल्य के बिल रोक दिए गए हैं।
4. मैं आपसे जेसीआई के प्रति मेरे अनुबंधात्मक दायित्व को पूरा करने के लिए रोकी गई राशि में से .... (राशि) जारी करने का अनुरोध करता हूं।
5. मैं निम्नलिखित विषय वस्तु हेतु 5 कार्य दिवसों के भीतर जेसीआई को पूरा भुगतान करने हेतु कतिबद्ध हूँ।

पीसीएसओ संख्या	पीसीएसओ का दिनांक	डिफ़ॉल्ट मात्रा(क्विंटन में)	मूल्य

6. मैं इस बात से सहमत हूँ कि, यदि हमारी मिल 5 कार्य दिवसों के भीतर जेसीआई को उल्लिखित राशि जमा नहीं करती है, तो उतनी ही राशि मेरी कंपनी के 90% मूल्य बिलों से काटी जा सकती है।
7. मैं घोषणा करता हूँ कि मेरी मिल फिलहाल ना ही बंद है और ना ही काम रुका हुआ है।व

भवदीय,

दिनांक:

स्थान

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

(नाम)

मिल का मुहर